

प्रेस नोट दिनांक 29.05.2026

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त उस्मान 06 अदद जिन्दा बम के साथ गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त उस्मान पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, गोवध, चोरी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के 02 दर्जन से अधिक मुकदमें जनपद प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर में है पंजीकृत-

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त उस्मान को क्षेत्रान्तर्गत उतरास मोड के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में 30नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह 30नि0 विनीत कुमार प्रजापति, हे0का0 बट्टी नारायण सिंह, का0 पिन्टू चौहान, रि0का0 मनीष कुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत उतरास मोड बैरियर चौराहा के पास से 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उस्मान पुत्र जहीर उर्फ जहीरुद्दीन निवासी ग्राम पूरे वजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 43 वर्ष को 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त उस्मान के पास से 06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 113/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त का विवरण-

01. उस्मान पुत्र जहीर उर्फ जहीरुद्दीन निवासी ग्राम पूरे वजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 43 वर्ष ।

अन्तर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त उस्मान पुत्र जहीर उर्फ जहीरुद्दीन निवासी ग्राम पूरे वजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 43 वर्ष का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-02/2021, धारा-429 भादवि0 व 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0-138/21, धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0-217/21, धारा-429 भादवि0, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0-227/21, धारा-147/148/149/307/120बी भादवि0, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0-158/16, धारा-147/148/149/504/506 भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0-200/20, धारा-323/504/506 भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0-397/23, धारा-307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0-127/24, धारा-504/506 भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
9. मु0अ0सं0-299/25, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
10. मु0अ0सं0-32/18, धारा-307 भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0-33/18, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
12. मु0अ0सं0-135/2008, धारा-392/411 भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
13. मु0अ0सं0-382/2007, धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
14. मु0अ0सं0-284/2009, धारा-302/147/120बी भादवि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
15. मु0अ0सं0-323/16, धारा-323/504/506 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
16. मु0अ0सं0-251/17, धारा-394/506 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
17. मु0अ0सं0-253/17, धारा-411 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
18. मु0अ0सं0-4/18, धारा-394/411/120बी भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
19. मु0अ0सं0-339/21, धारा-3/8 गौवध अधि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
20. मु0अ0सं0-120/2004, धारा-147/504/506 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
21. मु0अ0सं0-246/2007, धारा-302 भादवि0, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।
22. मु0अ0सं0-773/2007, धारा-395/412 भादवि0, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।
23. मु0अ0सं0-1341/2008, धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, सुल्तानपुर ।
24. मु0अ0सं0-1201/2008, धारा-147/148/149/307/504/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट, थाना कोतवाली नगर, सुल्तानपुर ।
25. कार्यवाही 110 जी (दिनांक 04.04.2010), थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।
26. मु0अ0सं0-113/26, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

06 अदद जिन्दा अवैध देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 विनीत कुमार प्रजापति, हे0का0 बट्टी नारायण सिंह, का0 पिन्टू चौहान, रि0का0 मनीष कुमार सिंह थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” से संबंधित 01 अभियुक्त अश्वनी सिंह को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा “हत्या का प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा इन्द्रकुंवर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 26.05.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा इन्द्रकुंवर पुल के पास पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी एवं उसके भाई के साथ लाठी-डण्डा व हाकी से मारपीट की गई, जिसमें वादी का भाई गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 142/26 धारा 190,191 (2), 191 (3), 109(1), 110,115(2),352,351 (2) बीएनएस बनाम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह हे का0 रामबचन यादव व रि0का0 सूरज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 142/26 धारा 190,191 (2), 191 (3), 109(1), 110,115(2),352,351 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अश्वनी सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी कटरा इन्द्रकुंवर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कटरा इन्द्रकुंवर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

01. अश्वनी सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी कटरा इन्द्रकुंवर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह हे का0 रामबचन यादव व रि0का0 सूरज यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही : धर्मांतरण प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा “धर्म संपरिवर्तन” के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बहरिया अहिना, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर तहरीरी सूचना प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नामजद अभियुक्तगण द्वारा प्रवचन, प्रलोभन एवं दबाव/दबंगई के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास/कृत्य किया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 40/2026, धारा 3/5(1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0 का0 वीरेन्द्र यादव व म0का0 प्रीती मिश्रा, म0रि0का0 निशा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 3/5 (1)/11 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1.सुरेन्द्र कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ग्राम सण्डिला (भीटरिया) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष 2.रीता देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सण्डिला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सण्डिला (भीटरिया) से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ग्राम सण्डिला (भीटरिया) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 49 वर्ष।
02. रीता देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सण्डिला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा हमराह हे0 का0 वीरेन्द्र यादव व म0का0 प्रीती मिश्रा, म0रि0का0 निशा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अमर सिंह यादव को 01 अदद कुल्हाड़ी के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत मुजेठी मोड़ बिहार बाघराय रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2026 को वादी निवासी ग्राम धनवसिया में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी पक्ष के घर पर पहुंचकर मारपीट, गाली-गलौज एवं तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। घटना में वादी के नाती को सिर में गंभीर चोट आई, जबकि बीच-बचाव करने आए अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की गई तथा आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसके संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109/190/191(2)/115(2) /352/351(3)/333/324(5) बीएनएस बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री दिनेश कुमार, का0 सचिन ठेनुआ, रि0 आ0 अरविन्द कुमार भारती द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-134/2026 धारा 109/190/191(2)/115 (2)/352/351 (3)/333/324 (5) बीएनएस से संबंधित 01अभियुक्त अमर सिंह यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी धनवसिया (धनवासा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत मुजेठी मोड़ बिहार बाघराय रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमर सिंह यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी धनवसिया (धनवासा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, जिससे उसने वादी के नाती पर जानलेवा प्रहार किया था, उसे धमावा पुलिया के नीचे छिपाकर रखा है। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद की गई।

बरामदगी-

01 अदद कुल्हाड़ी बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री दिनेश कुमार, का0 सचिन ठेनुआ, रि0 आ0 अरविन्द कुमार भारती थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।